(वाद संख्या–6687/18)

07.01.2020

परिवादी, राजेन्द्र सिंह, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना।

प्रसंगाधीन मामला पटना नगर निगम द्वारा Bihar Municipal Act, 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन कर, परिवादी की अनुपस्थिति में, बिना अतिक्रमित भूमि को चिन्हित किये व नोटिस निर्गत किये, एक लाख रुपये का जुर्माना वसूलने के बाद, उसके व्यवसायिक भवन को ध्वस्त कर उसके सामानों को लूटने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिलाधिकारी, पटना के माध्यम से पटना नगर निगम से प्रतिवेदन की मांग की गयी। प्रतिवेदनानुसार N.H.-30 के भूमि पर अतिक्रमित हिस्से को N.H.-30 के कर्मियों द्वारा चिन्हित किया गया तथा दिनांक–24.08.2018 को परिवादी के गुरुनानक मोटो एवं आजाद शॉ मिल के अलावे कई अतिक्रमणों को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया तथा सभी से नियमानुसार जुर्माना भी वसूला गया व प्राथमिकी दर्ज की गयी। नगर निगम के प्रतिवेदन के अनुसार अतिक्मण की यह कार्रवाई बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के अन्तर्गत न कर विशेष अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा करायी गयी तथा अतिक्रमण हटाने में हुए व्यय के रूप में ही परिवादी से एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम का अपने प्रतिवेदन में यह भी कथन है कि अतिक्रमण टीम के द्वारा सामानों की लूट–पाट, गाली–गलौज व किसी तरह के अभद्र व्यवहार व भयादोहन नहीं किया गया है तथा अतिक्रमित भूमि को चिन्हित करने के उपरान्त ही अतिक्मित हिस्से को तोड़ने व जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की गयी है साथ–ही–साथ अतिक्मणकारियों पर पटना नगर निगम द्वारा बिना नक्शा पारित कराये निर्माण कराये जाने पर निगरानी वाद भी प्रारंभ किया गया।

पटना नगर निगम के उपरोक्त प्रतिवेदन पर परिवादी द्वारा बीस बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए अतिक्मण की उक्त कार्रवाई को नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध नियम विरूद्ध बताया गया है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि पटना नगर निगम द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–324(1) तथा 323(1) के अन्तर्गत परिवादी को बिना नक्शा पारित कराये/पारित नक्शा से विचलन कर पटना नगर निगम के मोहल्ला–रानीपुर पैजामा में

अनधिकृत निर्माण को ढाहने हेतु नोटिस भी निर्गत किया गया है जिसके विरूद्ध परिवादी द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक C.W.J.C. सं0–23621/2018 दाखिल किया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–07.01.2019 को पारित आदेश द्वारा नगर निगम को **परिवादी का पक्ष सुनकर बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों के आलोक में एक सकारण आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए उक्त रिट का निष्पादन कर दिया गया साथ–ही–साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना के एकल पीठ द्वारा तबतक परिवादी के मकान को ढाहने की कार्रवाई को स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है।** परिवादी का कथन है कि अभीतक नगर निगम द्वारा कोई सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है।

अब, जबकि प्रसंगाधीन मामले को लेकर परिवादी द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका पर न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है तथा उक्त आदेश वर्त्तमान में अनुपालनान्तर्गत लंबित है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर समान आशय के मामले में कोई निर्देश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>